

उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

बुधवार 15 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1924
(दिनांक : 05 जून, 2002)

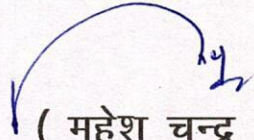
समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्न {देखिए नत्थी-(क)}
2. संसदीय कार्यमंत्री, उत्तरांचल विधान सभा के प्रथम सत्र में प्राप्त नियम-301 की सूचनाओं पर सरकार द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे।
3. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरुद्धीकरण व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
4. श्री हरिदास, सदस्य विधान सभा, जनपद हरिद्वार के कस्बा लण्डौर में जनहित में इण्टर कालेज स्थापित किये जाने विषयक श्री खलील अहमद एवं अन्य निवासीगण जनपद हरिद्वार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
5. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, सदस्य विधान सभा, जनपद अल्मोड़ा में अग्नेरी मंदिर, चौखुटिया से जौरासी मोटर मार्ग के निर्माण किये जाने विषयक श्री राजेश जोशी एवं श्री यू० एस० नेगी आदि, निवासीगण, जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
6. विशेषाधिकार के प्रश्न, यदि कोई हों।
7. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
8. कार्य-स्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
9. वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।

10. नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।
11. जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्राम डखवाण, तहसील घनसाली में बिजली की झूलती तारों से हुई दुर्घटना के संबंध में श्री बलबीर सिंह नेगी, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 3 जून, 2002 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य।
12. चार-धाम की यात्रा हरिद्वार से न होने के कारण जनता में उत्पन्न रोष के संबंध में श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 3 जून, 2002 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, पर्यटन मंत्री का केवल वक्तव्य।

देहरादून
दिनांक : 5 जून, 2002

आज्ञा से,


(महेश चन्द्र)
सचिव।



उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

गुरुवार, 16 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1924
(दिनांक : 06 जून, 2002)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्प सूचित प्रश्न (देखिये नत्थी “क”)।
2. अन्य प्रश्न (देखिये नत्थी “ख”)।
3. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरुद्धीकरण व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
4. विशेषाधिकार के प्रश्न, यदि कोई हों।
5. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
6. कार्य-स्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
7. निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुत किया जाना:-

प्रस्तावक का नाम

संकल्प

1. श्री प्रकाश पंत
2. श्री मातबर सिंह कण्डारी
3. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
4. श्री अजय भट्ट
5. श्री मदन कौशिक

“यह सदन उत्तरांचल पंचायत अध्यादेश,
2002 का अननुमोदन करता है।”

6. पंचायती राज मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल पंचायत विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।
7. पंचायती राज मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल पंचायत विधेयक, 2002 पारित किया जाय।
8. वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।
9. नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।
10. जनपद देहरादून की बिगड़ती यातायात की समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हरबंस कपूर, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 4 जून, 2002 को दी गई सूचना पर परिवहन मंत्री का नियम-51 के अन्तर्गत वक्तव्य।
11. जनपद चमोली के गैरसैण में अपर शिक्षा निदेशक का कार्यालय संचालित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अनिल नौटियाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 4 जून, 2002 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य।

देहरादून
दिनांक : 6 जून, 2002

आज्ञा से,


(महेश चन्द्र)
सचिव।